न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, (म0प्र0)

R-1703-II/13

CF-Rs-201

सत्यनारायण तनय मामनचन्द्र अग्रवाल, उम्र 73 वर्ष, निवासी सुभाष पार्क सतना, जिला सतना म0प्र0.....**आवेदक/निगराकार**

बनाम

अरुण कुमार श्रीवास्तव तनय हरिमोहन श्रीवास्तव, उम्र....वर्ष, निवासी एच. आई.जी. 120, भरहुतनगर सतना, म0प्र0.....**अना0/गैरनिगराकार**

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तह0 रघुराजनगर के प्र0क्र0-2अ5/12-13, आदेश दिनांक 11.02.13 में जिन्होंने अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है, उसे निरस्त किए जाने हेतु।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0।

अधिवक्ता श्री अशोक सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि0 12.04.2013

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, ग्वालियर

आवेदक/निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :-

1. **अ) प्रकरण के तथ्य,** प्रकरण के तथ्य यह हैं कि आ0नं0 404/1क रकवा 50X80 बराबर 4000 वर्गफिट स्थित मौजा कोलगवां, (कृष्णनगर) जिला सतना का मालिक स्वामी करीब 40 वर्ष से आवेदक/निगराकार चला आ रहा है। जिसकी विधिवत 1974 में सीमांकन कराकर नक्शा में तरमीम राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा किया गया था, (ट्रिस नक्शा की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है) जिसमें आवेदक बाउण्ड्रीवाल बनाकर मौके से काबिज है। आवेदक के आराजी की चौहद्दी निम्न है :- उत्तर-नाला एवं सनातन मंदिर, दक्षिण-गायत्री ट्रेडर्स, पूर्व-आवेदक की आराजी, पश्चिम-रोड सरकारी।

ब) यह कि अना0/गैरनिगराकार की आ0नं0 404/4ख है जिसके पूर्व भूमिस्वामी हरिमोहन श्रीवास्तव एवं श्रीमोहन श्रीवास्तव भूमिस्वामी थे। बाद में सिर्फ अकेले गैरनिगराकार के नाम आ गई। श्रीमोहन श्रीवास्तव का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विलोपित करा दिया गया। गैर निगराकार की रजिस्ट्री (छायाप्रति संलग्न है) के मुताबिक आराजी की चौहद्दी निम्न है :- उत्तर-रवींद्रनाथ, दक्षिण- रामप्रसाद, पूर्व-सरकारी, पश्चिम-सरकारी आराजी है।

स) यह कि गैर निगराकार ने बिना सीमांकन कराए अपनी आराजी 404/4ख को नक्शे में तरमीम किए जाने बावत् आवेदन तहसीलदार, तह0 रघुराजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा नियम व निर्देशों के विपरीत राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन/प्रस्ताव लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने गैर निगराकार की आराजी का सीमांकन बिना कराए ही मनमानी रूप से अपने अधीनस्थ कर्मचारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से अपीलाण्ट की आराजी को रजिस्ट्री के मुताबिक कार्यालय में नक्शा तरमीम करा दिया और पंचनामा में सरहदी काश्तकारों को बिना सूचना दिए गैरनिगराकार के पक्ष के लोगों के हस्ताक्षर करा लिए। इसी आदेश को

XXXIX(a)-BR(H)-11

(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1703-II/13 जिला सतना

सत्यनारायण-अरुण कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-15 (110)	- आवेदक की ओर से श्री अशोक सिंह एड० उपस्थित. उनके द्वारा निगरानी के कोई बल नहीं देना व्यक्त किया गया। - वास्ते विचारार्थ। C.F. 19.1.16 आज्ञा से, [signature]	निगरानी पर कोई बल नहीं देना चाहता हूं क्योंकि किया जाय [signature] (अशोक सिंह) 7/12/15 (निगरानी अधिवक्ता)
19-1-16.	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से श्री अशोक सिंह एड० उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया कि वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, अतः इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। चूंकि आवेदक द्वारा प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है. अतः प्रकरण नाट प्रेस् मे समाप्त किया जाता है। 3. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा० द० हो। [signature] सदस्य	

[क्. प. उ.